



बिहार सरकार
वित्त विभाग

जेन्डर बजट
2013-14

(मार्च, 2013)

प्राक्कथन

महिलायें राज्य की जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा है । अभी तक यह माना जाता रहा है कि लोक-व्यय महिला या पुरुष आधारित नहीं होते हैं । लोक व्यय का लाभ पुरुष एवं महिलाओं दोनों को समान रूप से मिलता है । लेकिन अब धीरे धीरे यह बात और सोच सामने आ रही है कि यह सत्य से परे है । महिलाओं से संबंधित सभी विकास संकेतक पुरुषों की तुलना में खराब हैं । अधिकतर मामलों में तो लिंग आधारित आंकड़े एकत्रित भी नहीं किये जाते हैं । बिहार के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार हैं ।

बिहार में महिला एवं पुरुष के तुलनात्मक विकास संकेतक				
संकेतक	भारत		बिहार	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3		
साक्षरता प्रतिशत –सभी आयु वर्ग (2011)	82.1	65.5	73.4	53.33
लिंग अनुपात–सभी आयु वर्ग (2011)	1000	940	1000	916
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (पुरुष) (2002–06)	66	68	67	66.7
विवाह के समय औसत आयु (महिला)		20.6		19.5
महिलाओं का बी0एम0आई0 (औसत से कम)		35.6		45.1
विवाहित महिलाओं में रक्तहीनता (वर्ग 15–49)		55.3		67.4
मातृत्व मृत्यु दर		212		261
संस्थागत प्रसव		47		27.7
शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार जन्म) (2010)	46.0	49.0	48.0	49.0

हमारी सरकार ने इस तथ्य को पहचाना है कि राज्य का असली विकास तभी संभव है जब महिला विकास में भागीदार बने । राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों के चुनावों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण कर बिहार को पूरे देश में पहले राज्य का स्थान दिलाया है । महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिये कई नई योजनाएँ भी आरम्भ की गयी हैं ।

इसी के अंतर्गत लिंग-आधारित बजट विवरणी प्रस्तुत की जा रही है । साधारण भाषा में इस व्यवस्था में निम्नलिखित मुख्य बिन्दु उल्लेखनीय है :-

- प्रत्येक क्षेत्र को महिलाओं के नजरिये से देखा जाये और तदनुसार बजट में यथासम्भव प्रावधान किये जाये ।
- यह आवश्यक नहीं है कि व्यय महिलाओं के लिये ही किया जाय वरन यह आवश्यक है कि ऐसे व्यय से या कार्यक्रमों से महिलाओं की स्थिति में सुधार होता हो अथवा उनको लाभ पहुंचता हो । उदाहरणार्थ पेयजल, सफाई एवं बच्चों का स्वास्थ्य महिलाओं के लिये सीधे कर्णाकित नहीं है, लेकिन इससे सीधा प्रभाव महिलाओं की स्थिति सुधारने में होता है, चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का काफी समय एवं शक्ति इन कार्यों में खर्च होती है ।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में जेंडर बजट के अंतर्गत शामिल विभागों की सूची निम्नवत् है ।

1. समाज कल्याण विभाग ।
2. अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग ।
3. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ।
4. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ।
5. शिक्षा विभाग
6. स्वास्थ्य विभाग ।
7. ग्रामीण विकास विभाग ।
8. नगर विकास एवं आवास विभाग ।
9. पंचायती राज विभाग ।
10. श्रम संसाधन विभाग ।
11. योजना एवं विकास विभाग
12. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ।
13. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

14. कला, संस्कृति एवं यूवा विभाग ।
15. उद्योग विभाग ।
16. वित्त विभाग ।

इस विवरण में महिलाओं की स्थिति सुधारने वाली योजनाओं के लिये प्रावधानों को दो श्रेणियों में दर्शाया गया ।

श्रेणी-1 में ऐसी योजनायें हैं जिनमें 100 प्रतिशत प्रावधान महिलाओं के लाभ के लिये है ।

श्रेणी-2 में ऐसी योजनायें हैं जिनमें महिलाओं के लाभ के लिये कुल प्रावधान का कम से कम 30 प्रतिशत आवंटन है ।

लिंग आधारित बजट अभी भी एक उभरता हुआ क्षेत्र है । अभी यह पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं हुआ है । लेकिन धीरे-धीरे इसकी बेहतर समझ होती जा रही है । राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 से जेंडर बजटिंग की शुरुआत की गयी है । इसमें उपरोक्त कारणों से कुछ कमियां रह जा सकती है । सरकार द्वारा यह प्रयास किया जायेगा कि तमाम कार्यक्रमों एवं योजनाओं को इस तरह बनाया जाय कि वे ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के प्रति संवेदनशील हो । इसके लिए इन कार्यक्रमों के उद्देश्यों, क्रियान्वयन संबंधि दिशा निर्देशों, वित्तीय कसौटियों को महिलाओं के अनुकूल बनाना होगा और विभागों में भी योजनाओं को अधिक सुक्ष्मता एवं शुद्धता से परखा जाना होगा । मुझे विश्वास है कि आगामी वर्षों में इसमें उत्तरोत्तर सुधार लाया जा सकेगा ।

सुशील कुमार मोदी
उपमुख्य (वित्त) मंत्री

संक्षिप्त विवरणी

				(राशि करोड़ रुपये में)
		2012-13	2013-2014	प्रतिशत परिवर्तन
1	महिलाओं के लिये श्रेणी-1 (100%) योजनाओं में प्रावधान	2293.84	2722.68	18.70
2	महिलाओं के लिए श्रेणी- 2(>=30%) योजनाओं में प्रावधान	5541.79	6879.69	24.14
3	महिलाओं के लिये कुल प्रावधान	7835.63	9602.37	28.70
4	संबंधित विभागों में कुल प्रावधान	34615.35	40217.41	24.33
5	महिलाओं के लिये प्रावधान (कुल प्रावधान का प्रतिशत)	22.65	23.88	5.41
6	कुल बजट आकार	78686.82	92087.93	17.03
7	महिलाओं के लिये प्रावधान (कुल बजट प्रावधान का प्रतिशत)	9.96	10.43	4.71
8	राज्य सकल घरेलु उत्पाद (रा०स०घ०उ०)	263876.00	314155.00	19.05
9	महिलाओं के लिये प्रावधान (रा०स०घ०उ०)	2.97	3.06	2.93
नोट- कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उपशीर्ष में जेन्डर बजट के आंकड़ सम्मिलित किये गये हैं ।				

जेन्डर बजट 2013-14 विभागवार विवरणी

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	मांग सं०	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2012-13 में			वित्तीय वर्ष 2012-13 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए		
			बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	51	समाज कल्याण विभाग	358075.95	142421.38	60100.87	370840.82	151811.37	68900.87	414280.87	155300.24	71567.72
2	44	अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग	100288.23	30822.68	0.00	106215.57	34608.58	0.00	101792.39	30114.78	0.00
3	36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	70029.04	9948.99	0.00	86333.75	13194.99	0.00	93947.05	14419.04	0.00
4	30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	58450.72	4418.50	150.00	58535.87	4418.50	150.00	33390.67	7562.46	200.00
5	21	शिक्षा विभाग	1505412.24	319127.38	26615.86	1704601.08	399965.07	43011.88	1828077.54	417286.29	32796.80
6	20	स्वास्थ्य विभाग	308598.83	1798.94	38314.75	312111.93	1798.94	38314.75	335684.39	2019.00	41801.79
7	42	ग्रामीण विकास विभाग	174632.68	29400.00	78473.98	174656.40	22900.00	88173.98	178992.42	10940.00	105952.93
8	48	नगर विकास एवं आवास विभाग	155386.13	1880.00	0.00	167043.60	4280.00	0.00	211590.88	7580.00	0.00
9	16	पंचायती राज विभाग	315640.99	6579.34	0.00	327699.99	8642.50	0.00	331704.33	8772.59	0.00
10	26	श्रम संसाधन विभाग	20288.60	126.30	55.00	20474.52	132.77	55.00	21195.50	105.68	70.20
11	35	योजना एवं विकास विभाग	203701.45	3300.00	0.00	186283.79	1500.00	0.00	190586.68	4500.00	0.00
12	11	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	12917.60	3691.28	1887.99	87117.63	3691.28	987.99	86629.18	26893.90	837.24
13	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	49104.21	0.00	3286.00	52069.00	0.00	2186.00	63144.43	0.00	3050.13
14	8	कला संस्कृति एवं युवा विभाग	7338.06	464.45	0.00	8356.08	707.28	0.00	7869.80	579.21	0.00
15	23	उद्योग विभाग	52131.83	200.24	0.00	52149.69	1196.78	0.00	52861.39	1896.00	0.00
16	12	वित्त विभाग	69538.44	0.00	20500.00	296269.47	0.00	20500.00	69994.05	0.00	15991.15
		कुल : -	3461535.00	554179.49	229384.45	4010759.19	648848.06	262280.47	4021741.57	687969.20	272267.96

* कुल योग संबंधित विभाग के माँग में कुल प्रावधानित राशि को प्रदर्शित करता है ।

जेन्डर बजट 2013-14 – विभागवार विवरणी

गैर योजना

(राशि लाख रुपये में)

		वित्तीय वर्ष 2011-12 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2012-13 में			वित्तीय वर्ष 2012-13 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए		
क्र०	विभाग का नाम	वास्तविकी *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	समाज कल्याण विभाग	137.43	0.00	137.43	189.37	0.00	189.37	189.37	0.00	189.37	316.99	0.00	316.99
2	अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग	6616.89	2077.28	0.00	8724.68	2617.40	0.00	8724.68	2617.40	0.00	10836.38	3250.91	0.00
3	शिक्षा विभाग	228051.67	82372.06	998.48	301122.74	118556.87	918.35	327109.12	126442.93	918.35	394029.90	152976.75	1196.80
4	स्वास्थ्य विभाग	5487.13	0.00	5487.13	6765.95	0.00	6765.95	6765.95	0.00	6765.95	7055.05	0.00	7055.05
5	पंचायती राज विभाग	3273.62	1636.81	0.00	4558.68	2279.34	0.00	4484.99	2242.50	0.00	4545.18	2272.59	0.00
6	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	583.77	0.00	583.77	787.99	0.00	787.99	787.99	0.00	787.99	637.24	0.00	637.24
7	कला संस्कृति एवं युवा विभाग	380.89	114.27	0.00	0.00	0.00	0.00	509.42	152.83	0.00	513.79	154.14	0.00
	कुल : -	244531.40	86200.41	7206.81	322149.41	123453.61	8661.66	348571.52	131455.65	8661.66	417934.53	158654.39	9206.08
नोट- कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों को योग है जिन उपशीर्षों में जेन्डर बजट के आंकड़े सम्मिलित किये गये हैं ।													

जेन्डर बजट 2013-14 — विभागवार विवरणी													
राज्य योजना													
(राशि लाख रुपये में)													
क्र०	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2011-12 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2012-13 में			वित्तीय वर्ष 2012-13 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए		
		वास्तविकी *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	समाज कल्याण विभाग	159034.11	48267.49	42857.50	184771.40	55215.10	44955.91	212471.39	64605.09	53755.91	214764.57	60117.99	52977.61
2	अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग	6563.79	18900.71	0.00	82494.90	24748.38	0.00	95201.54	28534.27	0.00	81226.23	24367.87	0.00
3	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	14419.27	5908.94	0.00	33163.31	9948.99	0.00	43983.31	13194.99	0.00	48063.48	14419.04	0.00
4	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	666.87	185.06	442.65	4375.00	1268.50	150.00	4375.00	1268.50	150.00	5048.92	2162.46	200.00
5	शिक्षा विभाग	218256.07	91060.57	29875.19	294529.49	136520.99	25697.51	443125.40	209472.61	42093.53	423376.81	193767.41	31600.00
6	स्वास्थ्य विभाग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
7	ग्रामीण विकास विभाग	117194.88	15111.38	78290.31	132473.98	29400.00	78473.98	135173.98	22900.00	88173.98	138854.93	10940.00	105952.93
8	नगर विकास एवं आवास	12882.13	3882.37	0.00	6160.00	1880.00	0.00	14160.00	4280.00	0.00	25160.00	7580.00	0.00
9	पंचायती राज विभाग	11610.25	5805.13	0.00	8600.00	4300.00	0.00	12800.00	6400.00	0.00	13000.00	6500.00	0.00
10	श्रम संसाधन विभाग	1882.39	542.93	72.64	476.00	126.30	55.00	497.56	132.77	55.00	422.46	105.68	70.20
11	योजना एवं विकास विभाग	39082.00	11724.60	0.00	11000.00	3300.00	0.00	5000.00	1500.00	0.00	15000.00	4500.00	0.00
12	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	15729.07	5149.49	0.00	8804.64	2561.28	1000.00	82104.64	2561.28	100.00	78691.53	24776.90	100.00
13	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2676.76	0.00	2676.76	3286.00	0.00	3286.00	2186.00	0.00	2186.00	3050.13	0.00	3050.13
14	कला संस्कृति एवं युवा विभाग	908.82	272.65	0.00	1548.18	464.45	0.00	1848.18	554.45	0.00	1416.90	425.07	0.00
15	उद्योग विभाग	351.91	105.57	0.00	667.48	200.24	0.00	3989.28	1196.78	0.00	6320.00	1896.00	0.00
16	वित्त विभाग	3960.09	0.00	3960.09	20500.00	0.00	20500.00	20500.00	0.00	20500.00	15991.15	0.00	15991.15
	कुल : —	605218.41	206916.87	158175.14	792850.38	269934.23	174118.40	1077416.28	356600.75	207014.42	1070437.11	351558.42	209992.02
नोट . कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपाशीर्षों का योग है जिन उपशीर्ष में जेन्डर बजट के आंकड़े सम्मिलित किये गये हैं ।													

केन्द्र प्रायोजित योजना

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2011-12 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2012-13 में			वित्तीय वर्ष 2012-13 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए		
		वास्तविकी *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	समाज कल्याण विभाग	94454.07	55882.35	12592.62	139329.65	87206.28	14955.59	139329.65	87206.28	14955.59	170603.28	95182.25	18273.12
2	अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग	212.52	2217.47	0.00	6223.00	2256.90	0.00	6223.00	2256.90	0.00	6395.00	2488.50	0.00
3	स्वास्थ्य विभाग	24658.90	902.26	22344.79	36058.32	1798.94	31548.80	36058.32	1798.94	31548.80	39763.94	2019.00	34696.74
4	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	7299.03	2347.63	185.00	3490.00	1130.00	100.00	3490.00	1130.00	100.00	6490.00	2117.00	100.00
5	शिक्षा विभाग	78837.30	39418.65	0.00	128099.05	64049.53	0.00	128099.05	64049.53	0.00	141084.28	70542.14	0.00
6	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1850.62	1269.76	0.00	10500.00	3150.00	0.00	10500.00	3150.00	0.00	18000.00	5400.00	0.00
	कुल : -	207312.44	102038.12	35122.41	323700.02	159591.64	46604.39	323700.02	159591.65	46604.39	382336.50	177748.89	53069.86
नोट- कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उपशीर्ष में जेन्डर बजट के आंकड़े सम्मिलित किये गये हैं ।													

केन्द्र योजनागत योजना													
(राशि लाख रुपये में)													
		वित्तीय वर्ष 2011-12 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2012-13 में			वित्तीय वर्ष 2012-13 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए		
क्र०	विभाग का नाम	वास्तविकी *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी-1)	बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी-1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी-1)	बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी-1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग	3947.60	1184.28	0.00	4000.00	1200.00	0.00	4000.00	1200.00	0.00	25.00	7.50	0.00
2	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	667.41	200.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल : -	4615.01	1384.50	0.00	4000.00	1200.00	0.00	4000.00	1200.00	0.00	25.00	7.50	0.00
नोट- कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उपशीर्ष में जेन्डर बजट के आंकड़े सम्मिलित किये गये हैं ।													

समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण निदेशालय)															
माँग संख्या :-51													(राशि लाख में)		
				वित्तीय वर्ष 2011-12 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2012-13 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2012-13 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए		
क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	पुनरीक्षित बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)
1	बिहार राज्य महिला आयोग	गैर योजना	2235 02 103 0003	30.00		30.00	30.00		30.00	30.00		30.00	150.00		150.00
2	अंतर्जातीय विवाह	गैर योजना	2235 02 800 0002	35.75		35.75	50.00		50.00	50.00		50.00	50.00		50.00
3	राज्य सदन और संरक्षण आश्रय गृह	गैर योजना	2235 02 104 0001	71.68		71.68	109.37		109.37	109.37		109.37	116.99		116.99
4	महिला विकास निगम	राज्य योजना	2235 02 103 0105	0.00		0.00	300.00		300.00	300.00		300.00	400.00		400.00
5	मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना	राज्य योजना	2235 02 103 0110	2000.00		2000.00	2400.00		2400.00	2400.00		2400.00	850.00		850.00
			2235 02 789 0108	1000.00		1000.00	600.00		600.00	600.00		600.00	170.00		170.00
6	मुख्य मंत्री कन्या विवाह योजना	राज्य योजना	2235 02 103 0109	6966.03		6966.03	5400.00		5400.00	6600.00		5400.00	7100.00		7100.00
			2235 02 789 0107	1882.50		1882.50	2000.00		2000.00	2000.00		2000.00	1420.00		1420.00
7	मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना	राज्य योजना	2235 02 103 0111	8000.00		8000.00	4000.00		4000.00	5200.00		5200.00	5000.00		5000.00
			2235 02 789 0109	2000.00		2000.00	2000.00		2000.00	2000.00		2000.00	1000.00		1000.00
8	विभिन्न संस्थाओं के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों का प्रशिक्षण	राज्य योजना	2235 02 101 0111	3.69	1.11		10.00	3.00		10.00	3.00		20.00	15.00	
9	प्रदर्शनी, सेमिनार एवं सम्मेलन	राज्य योजना	2235 02 800 0101										50.00	18.00	
योग राज्य योजना				21852.22	1.11	21848.53	16710.00	3.00	16700.00	19110.00	3.00	17900.00	16010.00	33.00	15940.00
योग गैर योजना				137.43	0.00	137.43	189.37	0.00	189.37	189.37	0.00	189.37	316.99	0.00	316.99
महा योग				21989.65	1.11	21985.96	16899.37	3.00	16889.37	19299.37	3.00	18089.37	16326.99	33.00	16256.99

समाज कल्याण विभाग (आई० सी० डी० एस०)

माँग संख्या :-51

(राशि लाख में)

					वित्तीय वर्ष 2011-12 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2012-13 में			वित्तीय वर्ष 2012-13 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए				
क्र०	परियोजना/कार्यक्रम/ स्थापना का नाम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष			वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	पुनरीक्षित बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	
1	समेकित बाल विकास कार्यक्रम	के०प्रा०यो०	2235	02	102	0602	36768.91	28826.83		65775.47	51566.61		65775.47	51566.61		81441.27	52067.63	
2	पूरक पोषाहार योजना	के०प्रा०यो०	2236	02	101	0602	45092.54	27055.52		58598.59	35639.67		58598.59	35639.67		70888.89	43114.62	
3	सबला कार्यक्रम	के०प्रा०यो०	2235	02	102	0618	10931.68		10931.68	10457.80		10457.80	10457.80		10457.80	13418.80		13418.80
4	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना	के०प्रा०यो०	2235	02	103	0612	1660.94		1660.94	4497.79		4497.79	4497.79		4497.79	4854.32		4854.32
5	पूरक पोषाहार (गर्भवती महिलाओं, बच्चों एवं दूध पिलानी वाली माँ के लिए पौष्टिक आहार)	राज्य योजना	2236	02	101	0102	20504.98	12302.99		22492.18	13495.31		33614.18	20168.51		24515.70	14709.42	
			2236	02	789	0101	10547.53	6328.52		4606.83	2764.098		6884.83	4130.898		5021.30	3012.78	
6	दुलार रणनीति योजना	राज्य योजना	2235	02	102	0107	369.44		369.44	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
7	सबला कार्यक्रम	राज्य योजना	2235	02	102	0118	1590.74		1590.74	4983.25		4983.25	6394.25		6394.25	5291.25		5291.25
			2235	02	789	0102	663.07		663.07	1020.66		1020.66	1309.66		1309.66	1083.75		1083.75
8	समेकित बाल विकास योजना (सामान्य) स्थापना	राज्य योजना	2235	02	102	0103	5284.23	4142.84		7308.38	5729.04		7308.38	5729.04		11348.20	5785.31	
9	आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए पोशाक योजना	राज्य योजना	2235	02	102	0117	5381.32	2690.66		6657.51	3328.76		6906.51	3453.26		1361.00	680.50	
			2235	02	789	0103	2324.61	1162.31		1363.59	681.795		1414.59	707.295		278.76	139.38	
योग के०प्रा०यो							94454.07	55882.35	12592.62	139329.65	87206.28	14955.59	139329.65	87206.28	14955.59	170603.28	95182.25	18273.12
योग रा० यो०							46665.92	26627.31	2623.25	48432.40	25999.00	6003.91	63832.40	34189.00	7703.91	48899.96	24327.39	6375.00
महा योग							141119.99	82509.66	15215.87	187762.05	113205.28	20959.50	203162.05	121395.28	22659.50	219503.24	119509.64	24648.12

समाज कल्याण विभाग(समाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)																
मॉड संख्या :-51				(राशि लाख में)												
				वित्तीय वर्ष 2011-12 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2012-13 में			वित्तीय वर्ष 2012-13 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए			
क्र०	परियोजना / कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	पुनरीक्षित बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	
1	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	राज्य योजना	2235 60 102 0105	7377.65		7377.65	9500.00		9500.00	11900.00		11900.00	10762.61		10762.61	
			2235 60 789 0102	3265.55		3265.55	4100.00		4100.00	4900.00		4900.00	3700.00		3700.00	
2	बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	राज्य योजना	2235 60 102 0104	3610.16	1083.05		6300.00	1890.00		7900.00	2370.00		7400.00	2220.00		
			2235 60 789 0103	1669.53	500.86		2700.00	810.00		3300.00	990.00		2400.00	720.00		
3	राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	राज्य योजना	2235 60 102 0101	1491.44	447.43		1400.00	420.00		1400.00	420.00		1000.00	300.00		
			2235 60 789 0104	676.60	202.98		600.00	180.00		600.00	180.00		400.00	120.00		
4	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	राज्य योजना	2235 03 101 0101	45584.43	13675.33		54435.00	16330.50		54435.00	16330.50		70000.00	21000.00		
			2235 03 789 0101	9266.48	2779.94		18145.00	5443.50		18144.99	5443.50		18520.00	5556.00		
5	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	राज्य योजना	2235 03 101 0103	5641.02		5641.02	6490.00		6490.00	8490.00		8490.00	12100.00		12100.00	
			2235 03 789 0102	2101.50		2101.50	2162.00		2162.00	2862.00		2862.00	4100.00		4100.00	
6	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	राज्य योजना	2235 03 101 0102	204.38	61.31		412.00	123.60		487.00	146.10		880.00	264.00		
			2235 03 789 0103	81.44	24.43		137.00	41.10		162.00	48.60		220.00	66.00		
7	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	राज्य योजना	2235 03 102 0101	2786.29	835.89		3000.00	900.00		4200.00	1260.00		4772.00	1431.60		
			2235 03 789 0104	744.95	223.49		1168.00	350.40		1668.00	500.40		2400.00	720.00		
8	कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना	राज्य योजना	2235 02 800 0104	3250.70	975.21		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
			2235 02 789 0104	1252.90	375.87		1540.00	462.00		1540.00	462.00		1540.00	462.00		
			2235 02 200 0103	0.00	0.00		3060.00	918.00		3060.00	918.00		3060.00	918.00		
9	विकलांग छात्रों को छात्रवृत्तियाँ	राज्य योजना	2235 02 101 0102	385.38	115.61		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
			2235 02 789 0105	87.68	26.30		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
10	विकलांगों का सर्वेक्षण	राज्य योजना	2235 02 101 0105	54.03	16.21		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
11	मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना	राज्य योजना	2235 02 101 0110	384.49	115.35		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
12	मुख्यमंत्री निःशक्तता ऋण योजना	राज्य योजना	2235 02 101 0103	500.00	150.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
13	निर्धनों एवं निराश्रितों का कल्याण (मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना एवं ओल्ड ऐज होम)	राज्य योजना	2235 02 101 0106	99.37	29.81		700.00	210.00		700.00	210.00		400.00	120.00		
14	परवरीश	राज्य योजना	2235 02 102 0116	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		1000.00	300.00		
15	सम्बल कार्यक्रम	राज्य योजना	2235 02 101 0119	0.00	0.00		3780.00	1134.00		3780.00	1134.00		4000.00	1200.00		
16	मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना	राज्य योजना	2235 02 200 0105										800.00	240.00		
17	बाबा आम्टे कुष्ठ कल्याण योजना	राज्य योजना	2235 02 104 0105										400.00	120.00		
	कुल योग:-			90515.97	21639.08	18385.72	119629.00	29213.10	22252.00	129528.99	30413.10	28152.00	149854.61	35757.60	30662.61	
	महायोग गैर योजना:-			137.43	0.00	137.43	189.37	0.00	189.37	189.37	0.00	189.37	316.99	0.00	316.99	
	महायोग राज्य योजना:-			159034.11	48267.49	42857.50	184771.40	55215.10	44955.91	212471.39	64605.09	53755.91	214764.57	60117.99	52977.61	
	महायोग के 0 प्रो यो:-			94454.07	55882.35	12592.62	139329.65	87206.28	14955.59	139329.65	87206.28	14955.59	170603.28	95182.25	18273.12	
	कुल महायोग:-			253625.61	104149.84	55587.55	324290.42	142421.38	60100.87	351990.41	151811.37	68900.87	385684.84	155300.24	71567.72	

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग															
मॉग संख्या :-44													(राशि लाख में)		
क्र०	परियोजना / कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2011-12 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2012-13 में			वित्तीय वर्ष 2012-13 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए		
				वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	पुनरीक्षित बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)
1	अस्वच्छ कार्य में लगे छात्रवृत्ति 197 ब्लॉक पंचायत	गैर योजना	2225 01 197 0001	8.71	2.61		10.00	3.00		10.00	3.00		10.00	3.00	
2	छात्रवृत्ति/वाजीफा	गैर योजना	2225 01 197 0002	5.60	1.68		10.00	3.00		10.00	3.00		10.00	3.00	
3	अस्वच्छ कार्य में लगे छात्रवृत्ति 198 ग्राम पंचायत	गैर योजना	2225 01 198 0001	24.48	7.34		25.00	7.50		25.00	7.50		25.00	7.50	
4	मुसहर छात्रवृत्ति 198 ग्राम पंचायत	गैर योजना	2225 01 198 0003	45.90	13.77		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
5	अस्वच्छ कार्य में लगे छात्रवृत्ति 277 शिक्षा	गैर योजना	2225 01 277 0007	522.03	156.61		25.00	7.50		25.00	7.50		55.00	16.50	
6	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति 277 शिक्षा						500.00	150.00		500.00	150.00		1000.00	300.00	
7	आवासीय विद्यालय	गैर योजना	2225 01 277 0003	4802.45	1440.74		5841.80	1752.54		5841.80	1752.54		7060.96	2118.29	
8	छात्रावास संधारण	गैर योजना	2225 01 277 0002	303.84	91.15		565.57	169.67		565.57	169.67		694.35	208.31	
9	पुस्तक अधिकोष की स्थापना	गैर योजना	2225 01 277 0008	7.72	2.32		16.00	4.80		16.00	4.80		16.00	4.80	
10	नागरिक सुरक्षा अधिनियम	गैर योजना	2225 01 277 0009	0.00	0.00		0.10	0.03		0.10	0.03		0.10	0.03	
11	अत्याचार से राहत	गैर योजना	2225 01 277 0011	125.84	37.75		130.00	39.00		130.00	39.00		280.00	84.00	
12	प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	गैर योजना	2225 01 277 0012	88.64	26.59		186.47	55.94		186.47	55.94		190.53	57.16	
13	वैधिक सहायता	गैर योजना	2225 01 800 0004	0.47	0.14		1.00	0.30		1.00	0.30		1.00	0.30	
14	प्रदर्शनी,सेमीनार एवं पोस्टर	राज्य योजना	2225 01 001 0101	11.86	3.56		20.00	6.00		20.00	6.00		15.00	4.50	
15	परिवारोन्मुखी आयोत्पादक योजना-5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान	राज्य योजना	2225 01 102 0101	92.91	27.87		50.00	15.00		50.00	15.00		50.00	15.00	

16	महादलित विकास हेतु	राज्य योजना	2225	01	102	0115	11800.00	3540.00		29275.60	8782.68		31275.60	9382.68		20724.23	6217.27	
17	उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति(197 ब्लॉक पंचायत)	राज्य योजना	2225	01	197	0101	13827.13	4148.14		13042.00	3912.60		13042.00	3912.60		13000.00	3900.00	
18	छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण में सामग्री एवं पूर्तियाँ	राज्य योजना	2225	01	277	0101	0.00	0.00		500.00	150.00		500.00	150.00		500.00	150.00	
19	छात्रवृत्ति (277 शिक्षा)	राज्य योजना	2225	01	277	0107	7118.50	2135.55		8765.00	2629.50		9105.30	2731.59		13611.00	4083.30	
20	अनुसूचित जाति बालिकाओं के पोशाक -277 शिक्षा									0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
21	अनु0जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण 50:50									250.00	75.00		250.00	75.00		250.00	75.00	
22	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति(198 ब्लॉक पंचायत)	राज्य योजना	2225	01	198	0101	22228.16	6668.45		21313.00	6393.90		21313.00	6393.90		21309.00	6392.70	
23	अजाविनि-हिस्सा पूंजी	राज्य योजना	4425	01	108	0164	100.00	30.00		100.00	30.00		100.00	30.00		100.00	30.00	
24	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	राज्य योजना	2225	01	102	0116	1260.00	378.00		200.00	60.00		200.00	60.00		100.00	30.00	
25	आवासीय विद्यालय, छात्रावास एवं अन्य भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार(माम सं0 03 में प्रावधानित)	राज्य योजना	4059	01	051	0115	0.00	0.00		1900.00	570.00		8679.34	2603.80		0.00	0.00	
26	मेरिट उन्नयन	कें०प्रा०यो०	2225	01	277	0609	4.95	1.49		50.00	15.00		50.00	15.00		25.00	7.50	
27	अस्वच्छ कार्य	कें०प्रा०यो०	2225	01	277	0606	16.83	5.05		100.00	30.00		100.00	30.00		100.00	30.00	
28	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति	कें०प्रा०यो०	2225	01	277	0613	7063.07	2118.92		3000.00	900.00		3000.00	900.00		4000.00	1200.00	
29	अनु0जाति, जनजाति अत्याचार निवारण	कें०प्रा०यो०	2225	01	277	0611	94.19	28.26		250.00	75.00		250.00	75.00		250.00	75.00	
30	अनुसूचित जाति का बहुमुखी विकास	कें०यो०यो०	2225	01	793	0401	3947.60	1184.28		4000.00	1200.00		4000.00	1200.00		25.00	7.50	
31	बाबू जगजीवन राम छात्रावास निर्माण (50:50) (माम सं0 3 में प्रावधानित)	कें०प्रा०यो०	4059	60	051	0611	0.00	0.00		2700.00	1200.00		2700.00	1200.00		1900.00	1140.00	
कुल योग							5628.32	22050.26		92826.54	28237.96		101946.18	30973.85	0.00	85302.17	26160.65	

अनुसूचित जनजाति -																
1	अनु० आदिम जाति पर अत्याचार	गैर योजना	2225 02 277 0001	24.61	7.383		3.00	0.90		3.00	0.90		3.00	0.90		
2	पुस्तक अधिग्रहण की स्थापना						6.00	1.80		6.00	1.80		6.00	1.80		
3	पोशाक की आपूर्ति						0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
4	परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति						5.00	1.50		5.00	1.50		5.00	1.50		
5	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति 277 शिक्षा						20.00	6.00		20.00	6.00		20.00	6.00		
6	आवासीय विद्यालय संधारण	गैर योजना	2225 02 277 0004	907.51	272.25		1213.34	364.00		1213.34	364.00		1295.29	388.59		
7	प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र	गैर योजना	2225 02 277 0005	11.83	3.55		25.47	7.64		25.47	7.64		14.50	4.35		
8	लड़के एवं लड़कियों का छात्रावास	गैर योजना	2225 02 277 0003	6.84	2.05		48.17	14.45		48.17	14.45		59.49	17.85		
9	आयुर्वेदिक एवं ठक्कर कुष्ठ निवारण केन्द्रों का संधारण	गैर योजना	2225 02 282 0001	25.19	7.56		52.45	15.74		52.45	15.74		56.90	17.07		
10	खड़िया एवं अन्य आदिम जातियों का कल्याण	गैर योजना	2225 02 800 0001	12.59	3.78		40.31	12.09		40.31	12.09		33.26	9.98		
11	छात्रावास में सामग्री एवं पूर्तियाँ	राज्य योजना	2225 02 277 0101	382.46	114.738		50.00	15.00		50.00	15.00		50.00	15.00		
12	उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति 277 शिक्षा						572.00	171.60		572.00	171.60		634.00	190.20		
13	धारा 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से सहायता	राज्य योजना	2225 02 102 0101	663.93	199.18		1103.30	330.90		1103.30	330.90		1161.00	348.30		
14	विशेष केन्द्रीय सहायता	राज्य योजना	2225 02 102 0102	382.58	114.77		1219.00	365.70		1306.00	365.70		1437.00	431.10		
15	उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति 197 ब्लॉक/पंचायत	राज्य योजना	2225 02 197 0101	373.30	111.99		775.00	232.50		775.00	232.50		820.00	246.00		
16	थरुहट क्षेत्र विकास	राज्य योजना	2225 02 796 0125	3710.00	1113.00		1015.00	304.50		4515.00	1354.50		5010.00	1503.00		
17	प्रा० एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति 198 ग्राम पंचायत	राज्य योजना	2225 02 198 0101	1051.52	315.46		2340.00	702.00		2340.00	702.00		2450.00	735.00		
18	शोध कार्य	राज्य योजना	2225 02 800 0101	0.00	0.00		2.00	0.60		2.00	0.60		5.00	1.50		
19	कोचिंग एण्ड एलाइड 50:50	राज्य योजना	2225 02 277 0101	0.00	0.00		3.00	0.90		3.00	0.90		0.00	0.00		
20	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति	के०प्रा०यो०	2225 02 277 0607	212.52	63.76		120.00	36.00		120.00	36.00		120.00	36.00		
21	प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	के०प्रा०यो०	2225 02 277 0603	0.00	0.00		3.00	0.90		3.00	0.90		0.00	0.00		
कुल योग:-				7764.88	2329.46		8616.04	2584.72		12203.04	3634.72		13180.44	3954.13		
योग राज्य योजना:-				6563.79	18900.71		82494.90	24748.38		95201.54	28534.27		81226.23	24367.87		
योग गैर योजना:-				6616.89	2077.28		8724.68	2617.40		8724.68	2617.40		10836.38	3250.91		
योग के०प्रा०यो०:-				212.52	2217.47		6223.00	2256.90		6223.00	2256.90		6395.00	2488.50		
योग के०यो०यो०:-				3947.60	1184.28		4000.00	1200.00		4000.00	1200.00		25.00	7.50		
महायोग:-				13393.20	24379.73		101442.58	30822.68		114149.22	34608.58		98482.61	30114.78		

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग																
माँग संख्या :-36										(राशि लाख में)						
				वित्तीय वर्ष 2011-12 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2012-13 में			वित्तीय वर्ष 2012-13 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए			
क्र०	परियोजना / कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	पुनरीक्षित बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	
1	ग्रामीण पाईप/ट्यूबेल जलापूर्ति योजना	राज्य योजना	4215 01 102 0101	582.22	174.67		2125.00	637.50		2125.00	637.50		2745.00	823.50		
			4215 01 789 0102	188.24	56.47		250.00	75.00		250.00	75.00		700.00	210.00		
			4215 01 796 0115	15.00	4.50		25.00	7.50		25.00	7.50		55.00	16.50		
2	ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल, कूप, नलकूप द्वारा)	राज्य योजना	4215 01 102 0103	1392.12	417.64		1788.25	536.48		12739.65	3821.90		13183.00	3954.90		
			4215 01 789 0111	0.00	0.00		750.00	225.00		3523.00	1056.90		4500.00	1350.00		
			4215 01 796 0107	0.00	0.00		61.00	18.30		199.60	59.88		317.00	95.10		
3	20 हजार तक आबादी वाले ग्राम क्षेत्र/उपनगरों में पाइप द्वारा जलापूर्ति	राज्य योजना	4215 01 102 0102	0.00	0.00		50.00	15.00		50.00	15.00		50.00	15.00		
3	भू-गर्भीय जल रिचार्ज एवं रेन-वाटर हारवेस्टिंग	राज्य योजना	4215 01 102 0115	0.00	0.00		20.00	6.00		20.00	6.00		5.00	1.50		
4	भू-गर्भीय जल रिचार्ज एवं रेन-वाटर हारवेस्टिंग	राज्य योजना	4215 01 102 0112	180.49	54.15		50.00	15.00		50.00	15.00		50.00	15.00		
5	नबार्ड ऋण से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संरचना का विकास	राज्य योजना	4215 01 102 0116	1139.55	341.87		6700.06	2010.02		2282.06	684.62		2013.00	603.90		
			4215 01 789 0104	110.04	33.01		833.00	249.90		282.00	84.60		513.00	153.90		
			4215 01 796 0109	0.00	0.00		31.00	9.30		0.00	0.00		38.00	11.40		
6	भारत निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनाच्छादित/आंशिक आच्छादित /जल गुणवत्ता प्रभावित टोलों में नलकूप का निर्माण	राज्य योजना	4215 01 102 0117	793.32	238.00		1170.00	351.00		1170.00	351.00		730.00	219.00		
			4215 01 789 0105	82.41	24.72		300.00	90.00		300.00	90.00		250.00	75.00		
			4215 01 796 0110	0.00	0.00		30.00	9.00		30.00	9.00		20.00	6.00		

7	प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में जलापूर्ति	राज्य योजना	4215	01	102	0118	1433.86	430.16		2495.00	748.50		3895.00	1168.50		2750.00	825.00	
			4215	01	789	0106	274.32	82.30		640.00	192.00		640.00	192.00		700.00	210.00	
			4215	01	796	0111	0.00	0.00		45.00	13.50		45.00	13.50		50.00	15.00	
8	भारत निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनाच्छादित/आंशिक आच्छादित/ जल गुणवत्ता प्रभावित टोलों में जलापूर्ति की व्यवस्था	राज्य योजना	4215	01	102	0120	3104.09	931.23		5780.00	1734.00		4380.00	1314.00		4482.48	1344.74	
			4215	01	789	0108	261.06	78.32		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
			4215	01	789	0101	203.85	61.16		1600.00	480.00		1600.00	480.00		1712.00	513.60	
			4215	01	796	0116	0.00	0.00		120.00	36.00		120.00	36.00		100.00	30.00	
9	अर्द्ध शहरी/शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति की व्यवस्था	राज्य योजना	4215	01	102	0121	47.35	14.21		100.00	30.00		100.00	30.00		100.00	30.00	
10	ग्रामीण स्वच्छता	राज्य योजना	4215	02	106	0101	7277.00	2183.10		2070.00	621.00		2070.00	621.00		6533.00	1959.90	
			4215	02	789	0101	2550.00	765.00		2710.00	813.00		2710.00	813.00		2250.00	675.00	
11	शहरी क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधा का सुदृढीकरण	राज्य योजना	4215	02	106	0104	61.53	18.46		200.00	60.00		2157.00	647.10		3000.00	900.00	
12	लोहिया स्वच्छता योजना	राज्य योजना	4215	02	106	0105	0.00	0.00		3000.00	900.00		3000.00	900.00		1000.00	300.00	
योग राज्य योजना							14419.27	5908.94		33163.31	9948.99		43983.31	13194.99		48063.48	14419.04	
कुल योग							14419.27	5908.94		33163.31	9948.99		43983.31	13194.99		48063.48	14419.04	

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग																
माँग संख्या : - 30										(राशि लाख में)						
				वित्तीय वर्ष 2011-12 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2012-13 में			वित्तीय वर्ष 2012-13 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए			
क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी-1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी-1)	पुनरीक्षित बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी-1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी-1)	
1	मुस्लिम परित्यक्ता महिला को सहायता की योजना	राज्य योजना	2250 00 800 0109	50.00		50.00				0.00		0.00	0.00			0.00
			2250 00 101 0101	0.00		0.00	150.00		150.00	150.00		150.00	200.00			200.00
2	अल्पसंख्यक छात्रों/छात्राओं को लो0से0आ0 की तैयारी हेतु कोचिंग	राज्य योजना	2202 03 107 0106	0.00	0.00		20.00	6.00		20.00	6.00		10.00	3.00		
3	कॉलेज में पढ़ रहे अल्पसंख्यक छात्रों/छात्राओं की छात्रवृत्ति	राज्य योजना	2202 03 107 0105	0.00	0.00		30.00	10.00		30.00	10.00		0.00	0.00		
4	अल्पसंख्यक छात्रों/छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण योजना	राज्य योजना	4225 80 800 0101	392.65		392.65	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00		
			4225 80 051 0101	0.00	0.00		2675.00	802.50		2675.00	802.50		0.00	0.00		
			4225 80 051 0103										1769.46	884.73		
5	अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्ति योजना	राज्य योजना	2202 02 107 0103	616.87	185.06		1500.00	450.00		1500.00	450.00		1300.00	390.00		
6	अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं के पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्ति योजना	के0प्रा0 योजना	2202 02 107 0603	1850.62	555.19		4000.00	1200.00		4000.00	1200.00		7500.00	2250.00		
7	अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को माध्यमिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	के0प्रा0 योजना	2202 03 107 0603	2381.92	714.58		3500.00	1050.00		3500.00	1050.00		6000.00	1800.00		
8	अल्पसंख्यक छात्रों/छात्राओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्य हेतु छात्रवृत्ति योजना	के0प्रा0 योजना	2202 03 107 0602	0.00	0.00		3000.00	900.00		3000.00	900.00		4500.00	1350.00		
		के0यो0 योजना	2202 03 107 0402	667.41	200.22		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
9	अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास निर्माण योजना	राज्य योजना	4225 80 051 0103										1769.46	884.73		
	योग राज्य योजना			666.87	185.06	442.65	4375.00	1268.50	150.00	4375.00	1268.50	150.00	5048.92	2162.46	200.00	
	योग के0प्रा0यो0			1850.62	1269.76	0.00	10500.00	3150.00	0.00	10500.00	3150.00	0.00	18000.00	5400.00	0.00	
	योग के0यो0 योजना			667.41	200.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	महा योग			3184.90	1655.05	442.65	14875.00	4418.50	150.00	14875.00	4418.50	150.00	23048.92	7562.46	200.00	

शिक्षा विभाग																	
मॉड संख्या :-21																(राशि लाख में)	
प्राथमिक शिक्षा																	
				वित्तीय वर्ष 2011-12 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2012-13 में			वित्तीय वर्ष 2012-13 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए				
क्र०	परियोजना / कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	पुनरीक्षित बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)		
1	नगर शिक्षकों को समेकित भुगतान	गैर योजना	2202 01 191 0001	685.74	480.02		1429.20	1000.44		1429.20	1000.44		1732.50	1212.75			
2	नगर शिक्षकों को समेकित भुगतान	गैर योजना	2202 01 192 0001	293.29	190.64		6840.00	4446.00		6840.00	4446.00		3091.50	2009.48			
3	नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान	गैर योजना	2202 01 193 0001	683.39	375.86		2700.00	1485.00		2700.00	1485.00		2880.00	1584.00			
4	प्रखण्ड एवं शारीरिक शिक्षकों को समेकित भुगतान	गैर योजना	2202 01 197 0002	16478.19	10710.82		39491.10	25669.22		39491.10	25669.22		52673.40	34237.71			
5	पंचायत शिक्षकों को समेकित भुगतान	गैर योजना	2202 01 198 0002	26559.94	7967.98		10482.30	3144.69		10482.30	3144.69		0.01	0.00			
6	म0वि0 के छात्रों का परिभ्रमण	गैर योजना	2202 01 109 0003	2305.78	1152.89		2872.40	1436.20		0.00	0.00		0.00	0.00			
7	औजार योजना	राज्य योजना	2202 01 101 0111	392.90		392.90	492.00		492.00	492.00		492.00	85.00		85.00		
			2202 01 789 0101	0.00		0.00	108.00		108.00	108.00		108.00	15.00		15.00		
8	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	राज्य योजना	2202 02 109 0107	22677.72	11338.86		20549.97	10274.99		16023.76	8011.88		10500.00	5250.00			
9	सर्व शिक्षा अभियान	राज्य योजना	2202 01 111 0101	66226.89	33113.45		165476.00	82738.00		245476.00	122738.00		240936.00	120468.00			
			2202 01 789 0103	33049.49	16524.75		36324.00	18162.00		36324.00	18162.00		63664.00	31832.00			
10	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	राज्य योजना	2202 02 107 0107	10527.43		10527.43	0.01		0.01	16500.01		16500.01	7500.00		7500.00		
11	मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना	राज्य योजना	2202 02 107 0106	12629.09		12629.09	18197.50		18197.50	16252.47		16252.47	15200.00		15200.00		
			2202 02 789 0102	2082.77		2082.77	2400.00		2400.00	2776.75		2776.75	2800.00		2800.00		
12	बिहार बाल भवन के अनुदान	राज्य योजना	2202 01 0001 0107	150.00	135.00		200.00	180.00		200.00	180.00		460.00	414.00			
13	विद्यालय में मध्याह्न भोजन	राज्य योजना	2202 01 112 0101	12700.00	6350.00		30482.00	15241.00		42982.16	21491.08		30000.00	15000.00			
			2202 01 789 0104	4800.00			0.00			0.00			10000.00				
14	मुख्यमंत्री पोशाक योजना	राज्य योजना	2202 01 109 0101	40836.08	20418.040		0.01	0.005		29000.01	14500.005		10082.80	5041.400			
			2202 01 789 0102	1784.03			0.00			0.00			4600.00				
15	मुख्यमंत्री बालिका प्रौत्साहन योजना	राज्य योजना	2202 02 107 0108	4243.00		4243.00	4500.00		4500.00	5964.30		5964.30	6000.00		6000.00		
16	आई0सी0टी0 परियोजना	राज्य योजना	2202 02 109 0105	129.69	64.85		5300.00	2650.00		5300.00	2650.00		334.00	167.00			
17	प्रौढ़ शिक्षा	राज्य योजना	2202 04 200 0102	226.98	215.63		4500.00	4275.00		19725.94	18739.64		11100.00	10545.00			
18	राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय	कै0प्रा0यो0	2202 01 101 0601	78837.30	39418.65		127165.72	63582.86		127165.72	63582.86		140084.28	70042.14			
19	आई0सी0टी0 परियोजना	कै0प्रा0यो0	2202 02 109 0605	0.00	0.00		933.33	466.67		933.33	466.67		1000.00	500.00			
कुल योग				338299.70	148457.43	29875.19	480443.54	234752.06	25697.51	626167.05	306267.48	42093.53	614738.49	298303.48	31600.00		

	माध्यमिक शिक्षा																	
20	निरीक्षिका स्थापना	गैर योजना	2202	02	101	0001	443.40		443.40	337.52		337.52	337.52		337.52	462.52	462.52	
21	नगर मा०शि० का समेकित भुगतान	गैर योजना	2202	02	191	0001	502.89	301.73		700.00	420.00		700.00	420.00		980.00	588.00	
22	नगर मा० शि० का समेकित भुगतान	गैर योजना	2202	02	192	0001	477.13	238.57		700.00	350.00		700.00	350.00		945.00	472.50	
23	जिला परिषदों मा० शि० का समेकित भुगतान	गैर योजना	2202	02	196	0001	10860.55	5430.28		14400.00	7200.00		14300.00	7150.00		21360.00	10680.00	
24	नगर मा० शि० का समेकित भुगतान	गैर योजना	2202	02	193	0001	673.45	336.73		850.00	425.00		850.00	425.00		1030.00	515.00	
25	नगर उ०मा०शि० का समेकित भुगतान	गैर योजना	2202	02	191	0002	750.78	375.39		825.00	412.50		825.00	412.50		813.00	406.50	
	नगर पंचायत उ० मा० शि० का समेकित भुगतान	गैर योजना	2202.00	02	193	0002	301.50	150.75		410.00	205.00		410.00	205.00		377.00	188.50	
27	जिला परिषदों उ० मा० शि० का समेकित भुगतान	गैर योजना	2202	02	196	0002	2396.52	1198.26		3500.00	1750.00		3500.00	1750.00		3036.00	1518.00	
28	नगर पालिकाओं / नगर परिषद उ० मा० शि० का समेकित भुगतान	गैर योजना	2202	02	192	0002	452.18	226.09		650.00	325.00		691.78	345.89		698.00	349.00	
29	राज्य के विश्वविद्यालयों का विकास	राज्य योजना	2202	03	102	0115	4820.00	2410.00		6000.00	3000.00		6000.00	3000.00		10100.01	5050.01	
			2202	03	789	0101	980.00	490.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
	कुल योग –						22658.40	11157.79	443.40	28372.52	14087.50	337.52	28314.30	14058.39	337.52	39801.53	19767.51	462.52

	उच्च शिक्षा																	
30	राजकीय महिला महाविद्यालय / गुलजारबाग, पटना	गैर योजना	2202	03	103	0003	555.08		555.08	580.83		580.83	580.83		580.83	734.28	734.28	
31	पटना विश्वविद्यालय	गैर योजना	2202	03	102	0001	12757.10	3827.13		14472.19	4341.66		19809.77	5942.93		18502.91	5550.87	
32	मगध विश्वविद्यालय	गैर योजना	2202	03	102	0002	36969.50	11090.85		49459.67	14837.90		56013.39	16804.02		74534.10	22360.23	
33	बाबा साहेब भीम राव अम्बेदकर विश्वविद्यालय	गैर योजना	2202	03	102	0003	23609.25	7082.78		30381.84	9114.55		33665.61	10099.68		42635.35	12790.61	
34	जय प्रकाश विश्वविद्यालय	गैर योजना	2202	03	102	0004	10281.01	3598.35		12170.96	4259.84		13614.85	4765.20		18024.68	6308.64	
35	वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय	गैर योजना	2202	03	102	0005	11294.06	3388.22		15822.10	4746.63		17887.51	5366.25		22461.11	6738.33	
36	बी० एन० मंडल विश्वविद्यालय	गैर योजना	2202	03	102	0008	13636.57	6818.29		21167.45	10583.73		23754.71	11877.36		29245.75	14622.88	
37	भागलपुर विश्वविद्यालय	गैर योजना	2202	03	102	0009	24009.02	7922.98		30052.77	9917.41		32491.54	10722.21		38439.66	12685.09	
38	ललित ना० मिथिला विश्वविद्यालय	गैर योजना	2202	03	102	0011	24735.44	7420.63		32150.72	9645.22		36684.21	11005.26		48590.83	14577.25	
39	कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय	गैर योजना	2202	03	102	0012	5727.20	1832.70		7998.49	2559.52		8671.60	2774.91		9550.79	3056.25	
40	जन शिक्षा निदेशालय	गैर योजना	2202	04	001	0002	143.96	43.19		158.77	47.63		158.77	47.63		193.43	58.03	
41	जिला जन शिक्षा कार्यालय	गैर योजना	2202	04	200	0001	468.75	210.94		519.43	233.74		519.43	233.74		1038.08	467.14	
	कुल योग –						164186.94	53236.05	555.08	214935.22	70287.82	580.83	243852.22	79639.19	580.83	303950.97	99215.31	734.28
	महायोग राज्य योजना						218256.07	91060.57	29875.19	294529.49	136520.99	25697.51	443125.40	209472.61	42093.53	423376.81	193767.41	31600.00
	महायोग गैर योजन						228051.67	82372.06	998.48	301122.74	118556.87	918.35	327109.12	126442.93	918.35	394029.90	152976.75	1196.80
	महायोग के० प्रा० यो०						78837.30	39418.65	0.00	128099.05	64049.53	0.00	128099.05	64049.53	0.00	141084.28	70542.14	0.00
	महायोग–						525145.04	212851.27	30873.67	723751.28	319127.38	26615.86	898333.57	399965.07	43011.88	958490.99	417286.29	32796.80

स्वास्थ्य विभाग																		
माँग संख्या :-20																(राशि लाख में)		
						वित्तीय वर्ष 2011-12 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2012-13 में			वित्तीय वर्ष 2012-13 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए			
क्र०	परियोजना / कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष				वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-1)	पुनरीक्षित बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-1)
1	मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य	गैर योजना	2211	00	103	0001	270.13	0.00	270.13	334.91	0.00	334.91	334.91	0.00	334.91	434.86	0.00	434.86
2	नर्स प्रशिक्षण	गैर योजना	2210	05	105	0012	433.84	0.00	433.84	550.91	0.00	550.91	550.91	0.00	550.91	602.47	0.00	602.47
3	महिला स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं के लिए विद्यालय	गैर योजना	2210	05	105	0011	90.37	0.00	90.37	107.56	0.00	107.56	107.56	0.00	107.56	220.49	0.00	220.49
4	ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	गैर योजना	2211	01	101	0001	4692.79	0.00	4692.79	5772.57	0.00	5772.57	5772.57	0.00	5772.57	5797.23	0.00	5797.23
5	ए०एन०एम०/ एल० एच० भी० का स्थापना व्यय	के०प्रा०यो०	2211	00	101	0602	22344.79	0.00	22344.79	31548.80	0.00	31548.80	31548.80	0.00	31548.80	34696.74	0.00	34696.74
6	ए०एन०एम०/ एल० एच० भी० का प्रशिक्षण हेतु	के०प्रा०यो०	2211	00	003	0604	638.87	383.32	0.00	1392.31	835.39	0.00	1392.31	835.39	0.00	1556.16	933.70	0.00
7	शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	के०प्रा०यो०	2211	00	102	0601	163.67	65.47	0.00	283.90	113.56	0.00	283.90	113.56	0.00	319.95	127.98	0.00
8	तकनीकी परामर्श एवं पर्यवेक्षण, जिला कल्याण ब्यूरो	के०प्रा०यो०	2211	00	001	0603	1511.57	453.47	0.00	2833.31	849.99	0.00	2833.31	849.99	0.00	3191.09	957.33	0.00
9	ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० स्कूल में निर्माण कार्य	राज्य योजना	4210	03	105	0112	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	50.00		50.00
	योग गैर योजना						5487.13	0.00	5487.13	6765.95	0.00	6765.95	6765.95	0.00	6765.95	7055.05	0.00	7055.05
	योग के०प्रा०यो०						24658.90	902.26	22344.79	36058.32	1798.94	31548.80	36058.32	1798.94	31548.80	39763.94	2019.00	34696.74
	योग राज्य योजना						0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	50.00		50.00
महायोग-							30146.03	902.26	27831.92	42824.27	1798.94	38314.75	42824.27	1798.94	38314.75	46868.99	2019.00	41801.79

ग्रामीण विकास विभाग																	
मॉड संख्या :-42																(राशि लाख में)	
				वित्तीय वर्ष 2011-12 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2012-13 में			वित्तीय वर्ष 2012-13 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए				
क्र०	परियोजना / कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष			वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	पुनरीक्षित बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)
1	रा0ग्रा0रो0ग्रा0 योजना	राज्य योजना	2505	60	796 0101	500.00	150.00		270.00	81.00		270.00	81.00		282.50	84.75	
			2505	60	789 0101	12500.00	3750.00		4320.00	1296.00		4320.00	1296.00		9520.00	2856.00	
			2505	60	105 0102	19650.00	5895.00		25410.00	7623.00		26410.00	7923.00		18447.50	5534.25	
2	स्वर्णजयंती ग्रा0 स्वरोजगार योजना	राज्य योजना	2501	06	796 0101	115.10	97.84		5040.00	4284.00		3360.00	2856.00		609.00	517.65	
			2501	06	789 0101	2344.88	1993.15		6960.00	5916.00		4640.00	3944.00		841.00	714.85	
			2501	06	101 0101	3794.59	3225.40		12000.00	10200.00		8000.00	6800.00		1450.00	1232.50	
3	वास विहिन बी0पी0एल0 परिवारों को वास स्थल हेतु भूमि उपलब्ध करना	राज्य योजना	2216	03	796 0101	53.34		53.34	0.01		0.01	0.01		0.01	0.01		0.01
			2216	03	789 0101	818.19		818.19	0.01		0.01	0.01		0.01	0.01		0.01
			2216	03	105 0103	4418.04		4418.04	0.01		0.01	0.01		0.01	0.01		0.01
4	मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना	राज्य योजना	2216	03	105 0105	0.00		0.00	1000.00		1000.00	1000.00		1000	2500.00		2500.00
5	मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना	राज्य योजना	2216	03	105 0106	0.00		0.00	1000.00		1000.00	1000.00		1000	1000.00		1000.00
6	इंदिरा आवास योजना	राज्य योजना	2216	03	796 0102	11283.92		11283.92	17589.00		17589.00	8177.85		8177.85	3141.80		3141.80
			2216	03	789 0102	18381.59		18381.59	28295.37		28295.37	40067.96		40067.96	66861.60		66861.60
			2216	03	105 0102	43335.23		43335.23	30589.58		30589.58	37928.14		37928.14	22521.50		22521.50
7	राष्ट्रिय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन०आर०एल०एम०)	राज्य योजना	2501	06	101 0102	0.00		0.00				0.00		0.00	4440.00		3774.00
			2501	06	789 0102	0.00		0.00				0.00			4787.00		4068.95
			2501	06	796 0102	0.00		0.00				0.00			2453.00		2085.05
कुल योग						117194.88	15111.38	78290.31	132473.98	29400.00	78473.98	135173.98	22900.00	88173.98	138854.93	10940.00	105952.93

नगर विकास एवं आवास विभाग																		
मॉग संख्या :-48																(राशि लाख में)		
						वित्तीय वर्ष 2011-12 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2012-13 में			वित्तीय वर्ष 2012-13 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए			
क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष				वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	पुनरीक्षित बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)
1	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	राज्य योजना	2217	80	800	0115	210.00	63.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
2	समेकित आवास एवं गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम	राज्य योजना	2217	80	800	0123	1422.19	426.66		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
			2217	80	789	0104	3511.00	1053.30		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
3	मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना	राज्य योजना	2217	80	800	0124	6764.69	2029.41		6000.00	1800.00		14000.00	4200.00		25000.00	7500.00	
			2217	80	796	0111	856.83	257.05		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
4	नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता	राज्य योजना	2217	80	191	0114	28.77	8.63		0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	
			2217	01	191	0106	0.00	0.00		3.50	1.75		3.50	1.75		5.00	2.50	
			2217	03	191	0102	0.00	0.00		31.50	15.75		31.50	15.75		35.00	17.50	
5	नगर परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता	राज्य योजना	2217	80	192	0107	44.27	22.14			0.00			0.00		0.00	0.00	
			2217	03	192	0102	0.00	0.00		60.00	30.00		60.00	30.00		60.00	30.00	
6	नगर पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता	राज्य योजना	2217	80	193	0106	44.38	22.19			0.00			0.00		0.00	0.00	
			2217	03	193	0102	0.00	0.00		65.00	32.50		65.00	32.50		60.00	30.00	
	कुल योग:-						12882.13	3882.37	0.00	6160.00	1880.00	0.00	14160.00	4280.00		25160.00	7580.00	

पंचायती राज विभाग																		
मॉग संख्या :-16										(राशि लाख में)								
						वित्तीय वर्ष 2011-12 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2012-13 में			वित्तीय वर्ष 2012-13 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए			
क्र०	परियोजना / कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष				वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-1)	पुनरीक्षित बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-1)
1	न्याय मित्र एवं ग्राम कचहरी सचिव को संविदा राशि का भुगतान	गैर योजना	2515	00	198	0010	3273.62	1636.81		4558.68	2279.34		4484.99	2242.50		4545.18	2272.59	
2	जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता	राज्य योजना	2515	00	196	0106	133.60	66.80		47.87	23.94		88.08	44.04		88.08	44.04	
3	पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता	राज्य योजना	2515	00	197	0103	525.05	262.53		385.03	192.52		708.46	354.23		708.46	354.23	
4	ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता	राज्य योजना	2515	00	198	0105	4082.37	2041.19		1867.51	933.76		3436.22	1718.11		3436.22	1718.11	
5	ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता	राज्य योजना	2515	00	198	0106	3051.98	1525.99		1867.50	933.75		3436.20	1718.10		3436.20	1718.10	
6	जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता	राज्य योजना	2515	00	789	0106	3.31	1.66		10.25	5.13		18.86	9.43		18.86	9.43	
7	पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता	राज्य योजना	2515	00	789	0105	29.84	14.92		76.80	38.40		141.31	70.66		141.31	70.66	
8	ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता	राज्य योजना	2515	00	789	0103	102.00	51.00		372.52	186.26		685.43	342.72		685.43	342.72	
9	ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता	राज्य योजना	2515	00	789	0104	82.10	41.05		372.52	186.26		685.44	342.72		685.44	342.72	
11	बी०आर०जी०एफ० कार्यक्रम अन्तर्गत निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण	राज्य योजना	2515	00	101	0111	3600.00	1800.00		3600.00	1800.00		3600.00	1800.00		3800.00	1900.00	
	योग राज्य योजना						11610.25	5805.13		8600.00	4300.00		12800.00	6400.00		13000.00	6500.00	
	योग गैर योजना						3273.62	1636.81		4558.68	2279.34		4484.99	2242.50		4545.18	2272.59	
	कुल योग						14883.87	7441.94		13158.68	6579.34		17284.99	8642.50		17545.18	8772.59	

श्रम संसाधन विभाग																
माँग संख्या :-26				(राशि लाख में)												
				वित्तीय वर्ष 2011-12 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2012-13 में			वित्तीय वर्ष 2012-13 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए			
क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	पुनरीक्षित बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	
1	स्थापित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना	राज्य योजना	2230 03 003 0112	0.00		0.00	5.00		5.00	5.00		5.00	5.00		5.00	
2	नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना ।	राज्य योजना	2230 03 101 0101	22.89		22.89	50.00		50.00	50.00		50.00	65.20		65.20	
3	ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन	राज्य योजना	2230 01 103 0101	19.37	5.81		25.20	7.56		25.20	7.56		27.41	8.22		
			2230 01 789 0101	7.27	2.18		10.80	3.24		10.80	3.24		11.75	3.53		
4	बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदढीकरण	राज्य योजना	2230 01 103 0103	51.86	15.56		175.00	52.50		137.00	41.10		103.10	30.93		
5	बीड़ी श्रमिकों के लिए गृह निर्माण हेतु	राज्य योजना	2230 01 109 0101	18.80	5.64		40.00	12.00		61.56	18.47		40.00	12.00		
6	अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों की पुनर्वापसी पर व्यय	राज्य योजना	2230 01 114 0102	70.55	21.17		125.00	37.50		163.00	48.90		125.00	37.50		
			2230 01 789 0103	7.00	2.10		45.00	13.50		45.00	13.50		45.00	13.50		
7	आम आदमी बीमा योजना	राज्य योजना	2235 60 800 0103	1.51	0.45		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
8	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	राज्य योजना	2235 60 800 0104	1633.39	490.02		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
9	गर्भवती महिलाओं, बच्चों एवं दूध पिलाने वाली माँ के लिए पौष्टिक आहार वितरण योजना	राज्य योजना	2235 02 789 0101	49.75		49.75	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
कुल योग				1882.39	542.93	72.64	476.00	126.30	55.00	497.56	132.77	55.00	422.46	105.68	70.20	

योजना एवं विकास विभाग

माँग संख्या :-35

(राशि लाख में)

				वित्तीय वर्ष 2011-12 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2012-13 में			वित्तीय वर्ष 2012-13 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए		
क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	पुनरीक्षित बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)
1	आपातकालीन कोशी बाढ़ पुनर्वास परियोजना	राज्य योजना	2235 01 202 0105	32782.00	9834.60		4000.00	1200.00		4000.00	1200.00				
2	आपातकालीन कोशी बाढ़ पुनर्वास परियोजना के अन्तर्गत जीविका परियोजना	राज्य योजना	2235 01 202 0106	5000.00	1500.00		1000.00	300.00		1000.00	300.00		15000.00	4500.00	
3	आपकी सरकार आपके द्वार	राज्य योजना	4070 00 051 0104	1300.00	390.00		6000.00	1800.00		0.00	0.00				
कुल योग:-				39082.00	11724.60		11000.00	3300.00		5000.00	1500.00		15000.00	4500.00	

पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग																		
माँग संख्या :-11										(राशि लाख में)								
						वित्तीय वर्ष 2011-12 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2012-13 में			वित्तीय वर्ष 2012-13 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए			
क्र०	परियोजना / कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष				वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	पुनरीक्षित बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)
1	बारह अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या उच्च विद्यालय का संधारण	गैर योजना	2225	03	277	0010	583.77		583.77	787.99		787.99	787.99		787.99	637.24		637.24
2	छात्राओं के लिए छात्रावास (50:50)	राज्य योजना	2225	03	277	0108	0.00			1000.00		1000.00	100.00		100.00	100.00		100.00
3	उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (197 ब्लौक पंचायत)	राज्य योजना	2225	03	197	0101	479.86	143.96		575.00	172.50		575.00	172.50		12250.00	3675.00	
4	प्राथ० एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (198 ग्राम पंचायत)	राज्य योजना	2225	03	198	0101	890.35	267.11		1000.00	333.00		1000.00	333.00		26360.00	7908.00	
5	शिक्षा	राज्य योजना	2225	03	277	0101	14358.86	4738.42		6229.64	2055.78		80429.64	2055.78		39981.53	13193.90	
6	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति (शत प्रतिशत)	के०प्रा० योजना	2225	03	277	0601	6858.54	2263.32		3000.00	1000.00		3000.00	1000.00		6000.00	2000.00	
7	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (50:50)	के०प्रा० योजना	2225	03	277	0602	255.49	84.31		390.00	130.00		390.00	130.00		390.00	117.00	
8	छात्राओं के लिए छात्रावास	के०प्रा० योजना	2225	03	277	0607	185.00		185.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		100.00
	योग गैर योजना						583.77	0.00	583.77	787.99	0.00	787.99	787.99	0.00	787.99	637.24	0.00	637.24
	योग राज्य योजना						15729.07	5149.49	0.00	8804.64	2561.28	1000.00	82104.64	2561.28	100.00	78691.53	24776.90	100.00
	योग के०प्रा०यो०						7299.03	2347.63	185.00	3490.00	1130.00	100.00	3490.00	1130.00	100.00	6490.00	2117.00	100.00
	कुल योग						23611.87	7497.12	768.77	13082.63	3691.28	1887.99	86382.63	3691.28	987.99	85818.77	26893.90	837.24

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग															
माँग संख्या :-40				(राशि लाख में)											
				वित्तीय वर्ष 2011-12 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2012-13 में			वित्तीय वर्ष 2012-13 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए		
क्र०	परियोजना / कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी-1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी-1)	पुनरीक्षित बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी-1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी-1)
1	भूमि अर्जन हेतु (वास रहित महादलित परिवार को 3 डीसमल रैयाती भूमि का क्रय)	राज्य योजना	4047 00 789 0101	2676.76		2676.76	3286.00		3286.00	2186.00		2186.00	3050.13		3050.13
कुल योग				2676.76		2676.76	3286.00		3286.00	2186.00		2186.00	3050.13		3050.13

कला संस्कृति एवं युवा विभाग																
माँग संख्या :-8														(राशि लाख में)		
				वित्तीय वर्ष 2011-12 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2012-13 में			वित्तीय वर्ष 2012-13 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए			
क्र०	परियोजना / कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	पुनरीक्षित बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	
1	खेल कूद एवं यूवा सेवाएँ	राज्य योजना	2204 00 104 0102	338.14	101.44		824.88	247.46		1124.88	337.46		735.00	220.5		
			2204 00 789 0101	178.72	53.62		157.12	47.14		157.12	47.14		100.00	30.00		
2	कला एवं संस्कृति का संवर्धन	राज्य योजना	2205 00 102 0101	238.59	71.58		475.80	142.74		475.80	142.74		491.80	147.54		
			2205 00 789 0101	153.37	46.01		90.38	27.11		90.38	27.11		90.10	27.03		
3	खेल कूद एवं यूवा सेवाएँ	गैर योजना	2204 00 104 0001	356.41	106.92		0.00	0.00		460.79	138.24		469.11	140.733		
4	कला एवं संस्कृति का संवर्धन	गैर योजना	2203 00 102 0001	24.48	7.34		0.00	0.00		48.63	14.59		44.68	13.404		
योग राज्य योजना				908.82	272.65		1548.18	464.45		1848.18	554.45		1416.90	425.07		
योग गैर योजना				380.89	114.27		0.00	0.00		509.42	152.83		513.79	154.14		
कुल योग				1289.71	386.91		1548.18	464.45		2357.60	707.28		1930.69	579.207		

उद्योग विभाग

माँग संख्या :-23

(राशि लाख में)

				वित्तीय वर्ष 2011-12 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2012-13 में			वित्तीय वर्ष 2012-13 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए		
क्र०	परियोजना / कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	पुनरीक्षित बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)
1	हस्तशिल्प का विकास	राज्य योजना	2851 00 104 0101	244.76	73.43	0.00	667.48	200.24	0.00	617.48	185.24	0.00	408.77	122.63	0.00
2	हस्तकरघा विकास की योजना	राज्य योजना	2851 00 103 0103	107.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1921.00	576.30	0.00	3359.73	1007.92	0.00
3	पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना-रेशम का विकास	राज्य योजना	2851 00 107 0101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1450.80	435.24	0.00	2551.50	765.45	0.00
कुल योग				351.91	105.57		667.48	200.24		3989.28	1196.78		6320.00	1896.00	

वित्त विभाग															
मॉग संख्या :-12													(राशि लाख में)		
				वित्तीय वर्ष 2011-12 की			वित्तीय वर्ष 2012-13 में			वित्तीय वर्ष 2012-13 के			वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए		
क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	पुनरीक्षित बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2)	महिलाओं के लिए प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1)
	बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना	राज्य योजना	2515 00 102 0114	3168.00		3168.00	12983.00		12983.00	12983.00		12983.00	5562.00		5562.00
			2515 00 789 0101	792.09		792.09	6908.00		6908.00	6908.00		6908.00	10287.15		10287.15
			2515 00 796 0114	0.00		0.00	609.00		609.00	609.00		609.00	142.00		142.00
कुल योग				3960.09		3960.09	20500.00		20500.00	20500.00		20500.00	15991.15		15991.15

महिलाओं एवं बच्चों के लाभ के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की संक्षिप्त विवरणी

1. **महिला विकास निगम** :- महिलाओं के सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महिला विकास निगम, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के जीवन-स्तर में गुणात्मक सुधार, उद्यमिता प्रोत्साहन, आयवर्द्धक गतिविधियाँ, स्वनियोजन हेतु प्रशिक्षण, सरकारी अथवा गैर-सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ाव, नेतृत्व विकास, सहकारिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षमता अभिवृद्धि, बैंको से जुड़ाव एवं आधारभूत संरचना के निर्माण आदि कार्य कर रही है।

(समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण निदेशालय))

2. **नारी शक्ति योजना** :- “नारी शक्ति योजना” के अंतर्गत महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सशक्तिकरण एवं नवाचारी योजना के निमित्त विभिन्न योजनाओं के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसमें अनैतिक पणन (Trafficking) एवं घरेलू हिंसा से पीड़ित बच्चों एवं महिलाओं के लिए विशेष योजना बनायी गयी है, यथा-संरक्षण गृह, अल्पावास गृह, पालनाघर, बिहार राज्य महिला सूचना एवं संसाधन केन्द्र तथा महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों का गठन, पोषण तथा क्षमता निर्माण आदि।

(समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण निदेशालय))

3. **राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना** :- इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों की गर्भवती महिलाओं को एक मुश्त रुपये 500/- की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है। इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार के 19 वर्ष या इससे अधिक आयु की पहले दो जीवित बच्चों तक की गर्भवती महिलायें प्राप्त कर सकती हैं।

(समाज कल्याण विभाग (आई0सी0डी0एस0))

4. **जननी एवं बाल सुरक्षा योजना** :- इस योजना के अन्तर्गत अस्पताल में बच्चे का जन्म होने पर ग्रामीण क्षेत्रों में रुपये 1400/- एवं शहरी क्षेत्रों में रुपये 1000/- का भुगतान संबंधित अस्पताल द्वारा दिया जाता है।

(समाज कल्याण विभाग)

5. **मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना** :- “कन्या विवाह” योजना का उद्देश्य गरीब परिवार को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना, विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करना, कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करना तथा बाल विवाह एवं घरेलू हिंसा को रोकना है। इस योजना के तहत, कन्या को विवाह के समय 5000/- (पाँच हजार) रुपये का भुगतान कन्या के नाम चेक/डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा करना है। इस योजना का लाभ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के वैसे परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय ₹0 60,000/- तक हो।

(समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण निदेशालय))

6. **कन्या सुरक्षा योजना** :- इस योजना का उद्देश्य भ्रूण हत्या को रोकना, कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करना, लिंग अनुपात को बढ़ावा देना एवं जन्म निबंधन को प्रोत्साहित करना है। इस योजना का लाभ 22.11.2007 के पश्चात जन्म लेने वाली एक परिवार के मात्र दो कन्या संतानों तक के लिए देय होगा। योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वैसे परिवारों को देय होगा जिन्होंने जन्म का विधिवत निबंधन एक वर्ष के अन्दर कराया हो। इस योजना के लाभार्थी की आयु सीमा 0 से 3 वर्ष होनी चाहिए।

इस योजना के तहत कन्या को जन्म के समय मात्र 2000/- (दो हजार) रुपये की राशि प्रति कन्या एक मुश्त अनुदान के रूप में यू०टी०आई० के चिल्ड्रेन कैरियर वेलैन्सड प्लान अथवा कन्या सुरक्षा ट्रस्ट द्वारा निर्धारित फंड में कन्या के नाम से निवेश कर प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाता है। कन्या के 18 वर्ष पुरा होने के बाद उस प्रमाण पत्र के परिपक्वता मूल्य के समतुल्य राशि उपलब्ध करायी जाती है।

(समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण निदेशालय))

7. **मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना** :- राज्य के प्रारम्भिक विद्यालयों के वर्ग-III से V तक के सभी छात्राओं को प्रति छात्रा 500/- ₹0 (पाँच सौ) पोशाक हेतु नगद दिया जाता है तथा राज्य के माध्यमिक विद्यालय के वर्ग-VI से VIII में नामांकित तथा उपस्थित होने वाली प्रत्येक बालिका को 700/- (सात सौ) रुपये एवं वर्ग-IX से XII तक के छात्राओं को प्रति छात्रा 1000/- ₹0 पोशाक के लिए नगद राशि दिया जाता है। बालिका शिक्षा को उच्च प्राथमिक स्तर पर बढ़ावा देने हेतु यह योजना संचालित की जा रही है।

इस योजना का उद्देश्य कक्षा में छात्राओं का नामांकन, विद्यालय में बनाये रखना, छीजन रोकना, शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, लिंग भेद कम करना, शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाना, शैक्षणिक समता का निर्माण तथा महिला सशक्तिकरण है।

(मानव संसाधन विकास विभाग)

8. **कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय** :- कस्तुरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय का मुख्य उद्देश्य समाज के सुविधा वंचित समूहों- अनुसूचित जाति/ जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के बालिकाओं को प्रारम्भिक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।

(मानव संसाधन विकास विभाग)

9. **लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना(2007)** :- यह योजना 18 वर्ष से अधिक परंतु 65 वर्ष से कम आयु सीमा की विधवा जिनके परिवार की वार्षिक आय 60,000.00 हजार रुपये से अधिक न हो, को 200.00 प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। पेंशन का भुगतान डाकघर के बचत खाता के माध्यम से किया जाता है। जिला पदाधिकारी के स्थान पर अनुमंडल पदाधिकारी को स्वीकृति प्राधिकार बनाया गया है।

(समाज कल्याण विभाग(सामाजिक सुरक्षा एवं निशक्तता निदेशालय))

10. **इन्दिरा आवास योजना** :- इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, मुक्त बंधुआ मजदूरों के सदस्यों तथा गैर-अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण लोगों को एकमुश्त वित्तीय सहायता 45000/- रुपये नगद देकर आवसीय इकाइयों के निर्माण/ उन्नयन में मदद करना है।

(ग्रामीण विकास विभाग)

11. **स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना** :- योजना का उद्देश्य शहरी निर्धनों को स्वरोजगार उपक्रम स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा संवेतन रोजगार (Wage Employment) सृजन हेतु उत्पादन परिसम्पतियों का निर्माण करना है। इस योजना की दो विशेष कार्यक्रम हैं - शहरी राजेगार कार्यक्रम एवं शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम। यह योजना 01.12.1997 से लागू की गयी है।

(नगर विकास एवं आवास विभाग)

12. **मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना** :- 9वीं कक्षा में अध्ययनरत बालिकाओं को प्रति बालिका 2000/- रुपये की राशि साईकिल क्रय के लिए उपलब्ध करायी जाती है। इससे बालिकाओं में आत्मविश्वास जागृत होता है एवं माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करने में सहुलियत होती है।

इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा की ओर आकृष्ट करना, उनमें आत्मविश्वास भरना, नवीं कक्षा में बालिकाओं का नामांकन, उन्हें विद्यालय में बनाये रखना, छीजन रोकना है। इस योजना का लाभ वर्ग-IX में नामांकित होने वाली तथा उपस्थित रहने वाली सभी बालिकाओं को मिलता है।

(मानव संसाधन विकास विभाग)

13. **ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम :-**

(क) **संपूर्ण स्वच्छता अभियान-** इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण जनता में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने एवं खुले में शौच करने की प्रथा को समाप्त करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी घरों में शौचालय, सभी विद्यालयों में शौचालय, सभी आँगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय तथा महिलाओं के लिए आवश्यकतानुसार सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जाना है।

(ख) **लोहिया स्वच्छता योजना:-** राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ शौचालय का निर्माण तथा त्वरित गति से ग्रामीण स्वच्छता का आच्छादन प्राप्त करने के उद्देश्य से “लोहिया स्वच्छता योजना” की स्वीकृति प्रदान की गई है। लोहिया स्वच्छता योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा ए०पी०एल० परिवार के लिए ऑफ द पीट (सींगल पीट के साथ) मॉडल के 2000/- रुपये की लागत राशि वाले शौचालय के निर्माण हेतु 1500/- रुपये प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही बी०पी०एल० परिवारों के लिए ओभर दी पीट शौचालय के बदले ऑफ द पीट मॉडल के शौचालय निर्माण करने का निर्णय लिया गया है ताकि शौचालय दीर्घकाल तक उपयोगी रह सके। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा 500/- रुपया अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान इस कार्यक्रम में रखा गया है।

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत योजना से महिलाओं के विकास पर होने वाला खर्च 50 प्रतिशत अनुमानित है।

(लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग)

14. **अन्तर्जातीय विवाह योजना:-** हिन्दू समाज में व्याप्त जाति प्रथा के उन्मूलन हेतु अन्तर्जातीय विवाह करनेवाली महिलाओं को प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। इस योजनान्तर्गत अन्तर्जातीय विवाह करने वाली महिला को 25,000 रुपये राशि का भुगतान राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से किया जाता है।

(समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण निदेशालय))

15. **बालिकाओं के लिए हुनर योजना:-** मुस्लिम अल्पसंख्यक एवं अनुसूचित जाति के बालिकाओं को निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु ‘हुनर’ नामक योजना प्रारम्भ की गयी है। जिसमें सात व्यावसायिक ट्रेडों में 6 माह से लेकर एक वर्ष का निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

(मानव संसाधन विकास विभाग)

16. स्वयंसिद्धा कार्यक्रम (केन्द्र प्रायोजित योजना):- महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिरण हेतु राज्य के 61 प्रखंडों में इस कार्यक्रम को लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर आय उत्पादक कार्यक्रमों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना का कार्यान्वयन महिला विकास निगम के द्वारा किया जाता है।

(समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण निदेशालय))

17. नेशनल प्रोग्राम फॉर गर्ल्स एडुकेशन ऐट एलीमेंट्री लेवल (National Programme for Girls Education at Elementary Level):- यह योजना अभिविंचित वर्ग की बालिकाओं को प्रारम्भिक स्तर तक की शिक्षा प्रदान करने हेतु संचालित की जा रही है

(मानव संसाधन विकास विभाग)

18. ग्रामीण जलापूर्ति योजना:- नाबार्ड के तहत 158 अदद प्रखंड मुख्यालयों में पेय जलापूर्ति हेतु योजना की स्वीकृति नाबार्ड से प्राप्त हुई है। इन पेयजलापूर्ति योजनाओं से महिलाओं के विकास पर होने वाला खर्च लगभग 40 प्रतिशत अनुमानित है।

(लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग)

19. मूक बधिर विद्यालय एवं कर्मशाला का संधारण :- राज्य में मूक बधिर छात्र/छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा एवं आवास हेतु 5 मूक बधिर विद्यालय यथा पटना (बालक एवं बालिका), दरभंगा, मुंगेर एवं भागलपुर में संचालित है जिसमें अध्ययनरत छात्रों की मुफ्त शिक्षा, आवास, भोजन, वस्त्र तथा चिकित्सीय सुविधा आदि उपलब्ध कराई जाती है। पटना, भागलपुर एवं जिला में संचालित तीन नेत्रहीन विद्यालय है।

(समाज कल्याण विभाग(सामाजिक सुरक्षा एवं निशक्ता निदेशालय))

20. राज्य सदन एवं संरक्षण आश्रय गृह:- उत्तर रक्षा गृह, किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 44 के अंतर्गत संचालित है जिसका मुख्य उद्देश्य बाल गृह एवं विशेष गृह से निकलने वाली बालिकाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनका पुनर्वास करना है। पुनः बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2003 के नियम 36 के अनुसार उत्तर रक्षा गृह में रह रहे आवासियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ-साथ रोजगार उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जाता है। 10 पर्यवेक्षण गृह, तीन बालगृह, एक विशेष गृह और दो उत्तररक्षा गृह संचालित है।

(समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण निदेशालय))

21. **मध्य विद्यालय की छात्राओं का परिभ्रमण:-** इस योजना अन्तर्गत मध्य विद्यालय में नामांकित छात्र/ छात्राओं को वर्ष में एक बार शैक्षणिक परिभ्रमण हेतु राशि प्रदान की जाती है। इस योजना में छात्राओं को प्राथमिकता दी जाती है।

(मानव संसाधन विकास विभाग)

22. **सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम:-** इसके अन्तर्गत सीमावर्ती प्रखण्डों में बालिकाओं को शिक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए क्षेत्र आधारित व्यवसायों में व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम “ज्ञान ज्योति” संचालित की जा रही है।

(योजना एवं विकास विभाग)

23. **बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना:-** राज्य के 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा के रूप में प्रतिमाह ₹० 200/- पेंशन की राशि के माध्यम से राहत पहुँचाना। जैसे निःसहाय विकलांग जो बिहार के वासी हों या आवेदन की तिथि से कम से कम 10 वर्ष पूर्व से रह रही हो। पेंशन का भुगतान ₹० 200/-प्रतिमाह प्रति पेंशनधारी डाकघर बचत बैंक खाता में जमा के माध्यम से किया जायेगा। जिला पदाधिकारी के स्थान पर अनुमंडल पदाधिकारी को स्वीकृति प्राधिकार बनाया गया है।

(समाज कल्याण विभाग(सामाजिक सुरक्षा एवं निशक्तता निदेशालय))

24. **राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना:-** इसके अधिन 60 से 64 आयु वर्ष के ऐसे गरीब जिनके वार्षिक आय ग्रामिण क्षेत्र में 5000/- ₹० एवं शहरी क्षेत्र में 5500/- ₹० से अधिक नहीं है, जैसे निःसहाय वृद्ध जो बिहार के वासी हों या आवेदन की तिथि से कम से कम 10 वर्ष पूर्व से रह रही हो। पेंशन का भुगतान ₹० 200/- प्रतिमाह प्रति पेंशनधारी डाकघर बचत बैंक खाता में जमा के माध्यम से किया जायेगा।

(समाज कल्याण विभाग(सामाजिक सुरक्षा एवं निशक्तता निदेशालय))

25. **राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना:-** सभी बी०पी०एल० परिवार के 18 से 64 वर्ष आयु वर्ग के सदस्य की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता के रूप में एक मुश्त 20 हजार रुपये से राहत पहुँचाना। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दावा स्वीकृति के उपरांत 20 हजार रुपये की अनुदान राशि का भुगतान किया जाता है।

(समाज कल्याण विभाग(सामाजिक सुरक्षा एवं निशक्तता निदेशालय))

26. **नियमित टीकाकरण कार्यक्रम:-** इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य भर में टीका द्वारा बचाव वाली बीमारियों जैसे टेटनस, काली खाँसी, डिप्थीरिया, पोलियो एवं मीजल्स (खसरा) के टीकाकरण कार्यक्रम को सभी बच्चों तक पहुँचाना ।

(स्वास्थ्य विभाग)

27. **मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना:-** इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय की छात्र को जो बिहार के स्थायी निवासी है तथा जिन्होंने प्रथम श्रेणी से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण की है, को आगे की पढ़ाई चालू रखने हेतु एक मुश्त रु0 10000/- हजार की प्रोत्साहन राशि दी जाती है जिससे की वे अपने आगे की पढ़ाई विद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों इत्यादि की फीस, किताब/कॉपी एवं अन्य खर्च आदि का वहन कर सकें ।

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)

28. **मुस्लिम परित्यक्ताओं को वित्तीय सहायता संबंधी योजना:-** इस योजना के अन्तर्गत मुस्लिम परित्यक्ता महिलाओं को स्वरोजगार हेतु रुपये 10,000/- (दस हजार रुपये) वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)

29. **मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना:-** इस योजना का उद्देश्य छात्राओं के शैक्षणिक स्तर में वृद्धि कर विकास की मुख्य धारा में जोड़ना है । बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की दसवीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण सभी छात्राओं को प्रति छात्रा रु0 10000/- की राशि दी जायेगी, जिससे कि वे अपनी आगे की पढ़ाई के क्रम में विद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थाओं आदि की फीस, आवासीय खर्च, किताब, कॉपी इत्यादि पर होने वाले खर्च का वहन कर सकें । इस योजना का लाभ बिहार के स्थायी निवासी विद्यार्थियों को ही मिलेगा ।

(मानव संसाधन विकास विभाग)

30. **मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधा वृत्ति योजना:-** इस योजना का उद्देश्य राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक स्तर में वृद्धि कर उन्हें विकास की मुख्य धारा में जोड़ना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की दसवीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सभी विद्यार्थी, जो बिहार के स्थायी निवासी हैं, लाभान्वित होंगे। इसमें प्रति विद्यार्थी रुपये 10000/- की राशि मेधावृत्ति के रूप में दी जाएगी। इस राशि का उपयोग विद्यार्थियों द्वारा अपनी आगे की पढ़ाई के क्रम में विद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थाओं आदि की फीस, आवासीय खर्च, किताब, कॉपी इत्यादि पर होने वाले खर्च पर किया जा सकेगा।

(पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग)

31. **औजार योजना:-** हुनर योजना के अंतर्गत व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करनेवाले 24000 मुस्लिम अल्पसंख्यक एवं अनुसूचित जाति के बालिकाओं को टूल कीट हेतु 2500 रुपये प्रति बालिका उपलब्ध कराया जायेगा।

(मानव संसाधन विकास विभाग)

32. **सबला कार्यक्रम:-** राज्य के 12 जिलों यथा पटना, बक्सर, गया, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, प0 चम्पारण, वैशाली, सहरसा, किशनगंज, कटिहार, बांका एवं मुंगेर में किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए “सबला” कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रारम्भ किया गया है, जिसके तहत किशोरी बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ साथ पूरक पोषाहार भी प्रदान किया जाता है। पूरक पोषाहार अवयव पर होने वाले वास्तविक व्यय का वहन 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजना मद से एवं शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना मद से वहन किया जाता है। पूरक पोषाहार के अलावे सबला कार्यक्रम के शेष अवयवों पर होने वाले व्यय का शत प्रतिशत वहन केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजना मद से किया जाता है।

(समाज कल्याण विभाग (आई0सी0डी0एस0))

33. **बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना(जीविका):-** यह परियोजना (जीविका) विश्व बैंक के सहयोग से बिहार राज्य ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (बी0आर0एल0पी0एस0) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना का उद्देश्य महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उन्हें आर्थिक एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराकर आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाया जाना है। यह परियोजना छः जिलों यथा नालन्दा, गया, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं पूर्णियाँ के 44 प्रखंडों में कार्यान्वित की जा रही थी, जिसे वित्तीय वर्ष 2012-13 से अन्य सभी प्रखंडों में भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

(वित्त विभाग)

34. **महादलित विकास योजना:-** महादलित विकास योजनान्तर्गत वास रहित महादलित परिवारों के लिए 3डि. रैयती भूमि क्रय करके प्रत्येक महादलित परिवारको उपलब्ध कराने की योजना है। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में 3050.13 लाख रुपये कर्णांकित है। जिससे कुल 20688 वास रहित महादलित परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। यह योजना शत-प्रतिशत महिलाओं के लिए है।

(राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)

35. **मुख्यमंत्री इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना:-** इंदिरा आवास के लाभुकों को समय सीमा के भीतर के निर्माण हेतु प्रोत्साहित करने के लिये चार माह के अंदर निर्माण कार्य पूर्ण करने वाले लाभार्थियों को प्रोत्साहन स्वरूप “मुख्य मंत्री शताब्दी इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना” 1000(एक हजार) रुपये नगद अथवा सामान के रूप में भुगतान किया जाएगा।

(ग्रामीण विकास विभाग)

36. **मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना:-** वैसे लाभुक जो इंदिरा आवास की सहायता राशि प्राप्त कर इंदिरा आवास का निर्माण कतिपय कारणों से पूर्ण नहीं कर सके हैं अथवा उनका इंदिरा आवास योजना अन्तर्गत निर्मित मकान क्षतिग्रस्त हो गया है उन्हें निर्माण कार्य पूर्ण करने अथवा पुनः निर्मित करने हेतु 10000(दस हजार) रुपये सहायता राशि दिया जाएगा।

(ग्रामीण विकास विभाग)

37. **इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना:-** राज्य के दो जिलों यथा वैशाली एवं सहरसा में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना वित्तीय वर्ष 2011-12 से लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को 4000 रुपये की नगद प्रोत्साहन राशि तीन किस्तों में प्रदान किए जाने का प्रावधान है। उक्त राशि का वहन केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजना मद में शत-प्रतिशत किया जाता है।

(समाज कल्याण विभाग (आई0सी0डी0एस0))

38. **आंगनवाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना:-** राज्य के बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत कार्यरत सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 3-6 वर्ष आयु के सभी बच्चों को 250 रु0 वार्षिक लागत की दर पर वित्तीय वर्ष 2010-11 के प्रभाव से पोशाक योजना का शुभारम्भ किया गया है।

(समाज कल्याण विभाग (आई0सी0डी0एस0))



